लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3362

12 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र-परिधान विनिर्माण

3362. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्री गिरीश भालचन्द्र बापटः
श्री विनायक भाऊराव राऊतः
कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देलः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वस्त्र-परिधान विनिर्माण लागत में वृद्धि हुई है और इसलिए निर्माता कम मूल्य के उत्पादों में कम लागत वाले देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय टेक्सप्रेनर्स फेडरेशन (आईटीएफ) ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो उनके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या आईटीएफ ने वस्त्र मंत्रालय को विचारार्थ हेतु 11-सूत्री अपील और सुझाव प्रस्तुत किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या आईटीएफ ने निर्यात के विकास को गति देने के लिए लघु और दीर्घकालिक समाधानों की पहचान करने के लिए उद्योग हितधारकों के साथ एक कार्यबल बनाने पर विचार करने के लिए सबसे पहले केंद्र सरकार से आग्रह किया है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क): भारत बांग्लादेश और श्री लंका जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा का सामना करता है जिनके पास प्रतिस्पर्धी निर्माण लागत हैं और ईयू जैसे प्रमुख वस्त्र और अपैरल बाजारों तक शुल्क मुक्त पहुँच है।

(ख) और (ग): जी हां। आईटीएफ द्वारा किए गये सर्वेक्षण के निष्कर्ष निम्नानुसार हैं :

(i) वस्त्र क्षेत्र कुछ बाजारों में एकाग्रता के साथ निम्न मूल्य वर्धित उत्पादों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

(ii) जन शक्ति और पर्याप्त कौशल की कमी के कारण निर्माण लागत अधिक हो जाती है।

(iii) फैशन के वैश्विक रूझान मिश्रण की ओर हैं।

(iv) एमएमएफ/सिंथेटिक फाईबर आधारित अपैरल के निर्यात ने ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई है।

सरकार की प्रतिक्रिया इस प्रकार है:

(i) भारत के निर्यात बास्केट में 40% अपैरल, एक तैयार मूल्य वर्धित उत्पाद शामिल है।

(ii) हालांकि परंपरागत बाजार (जैसे ईयू और यूएसए) भारत के वस्त्र और अपैरल के निर्यात के लिए महत्वपूर्ण गंतव्य हैं, तथापि हमारे निर्यात का 50% से अधिक निर्यात उभरते बाजारों के लिए है।

(iii) सरकार समर्थ योजना के माध्यम से असंगठित और संगठित दोनों वस्त्र क्षेत्रों में कौशल विकास और क्षमता निर्माण पर बल दे रही है।

(iv) एमएमएफ आधारित उत्पादों के निर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 01.08.2018 से अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को लौटाने की अनुमति देकर फैब्रिक स्तर पर इन्वर्टेड ड्यूटी की संरचना को ठीक किया गया था। इसके अलावा निर्माण और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 298 एमएमएफ फैब्रिक लाइनों पर ड्यूटी बढ़ा दी गयी है।

(v) वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए सरकार ने परिधान और मेड-अप्स के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज का महत्वपूर्ण तत्व राज्य लेवियों पर छूट (आरओएसएल) योजना है। आरओएसएल योजना के स्थान पर दिनांक 07.03.2019 से राज्य और केंद्रीय कर तथा लेवियों की छूट की एक नई योजना लागू की गई है। उक्त योजना के अंर्तगत राज्य और केंद्रीय करों तथा लेवियों जो परिधानों और मेड-अप्स के निर्यात की लागत में शामिल हैं, में डीजीएफटी द्वारा जारी आईटी आधारित स्क्रिपों के माध्यम से छूट प्रदान की जाएगी।

(घ): निर्यात में वृद्धि करने के मामलों का पता लगाने और समाधान करने के लिए सरकार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, उद्योग संघों और निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ नियमित रूप से बातचीत करती है।

***